रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1051] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2007/भाद्र 7, 1929
No. 1051] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2007/BHADRA 7, 1929

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2007

का.आ. 1472(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिंडेन (गामा बी एच सी) का भवनों में जिसके अंतर्गत लकड़ी भी है, में दीमक के नियंत्रण के लिए, रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा लेबल दावा अनुमोदन के अनुसार कृषि में दीमक नियंत्रण के लिए और निर्यात के सिवाय आयात, विनिर्माण और उपयोग के प्रतिषेध के कतिपय प्रारूप आदेश भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1532(अ) तारीख 25 अक्तूबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसके उक्त तारीख को जनता को उक्त अधिसूचना की प्रतियां उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 25 अक्तूबर, 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, केन्द्रीय सरकार, द्वारा जनता द्वारा उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :–

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लिंडेन (गामा बी एच सी) के आयात, विनिर्माण और उपयोग का प्रतिषेद्ध आदेश, 2007 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कोई व्यक्ति लिंडेन का आयात, विनिर्माण या उसका उपयोग निम्नलिखित के सिवाय नहीं करेगा :–

(i) भवनों में दीमक नियंत्रण जिसके अंतर्गत लकड़ी भी है ;

(ii) कृषि में दीमक नियंत्रण के लिए रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित लेबल दावा के अनुसार ; और

(iii) निर्यात के लिए ।

3. (i) लिंडेन के लिए अनुदत्त सभी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा, सभी रजिस्ट्रीकरण व्यक्तियों से जिसके अंतर्गत नए रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति भी हैं, लेबलों और पत्रकों पर "केवल भवनों जिसके अंतर्गत लकड़ी भी हैं, में दीमक नियंत्रण के लिए, रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा लेबल दावा अनुमोदन के अनुसार कृषि में दीमक नियंत्रण और निर्यात के लिए" स्पष्ट अक्षरों में चेतावनी को सम्मिलित करने की अपेक्षा के लिए वापस लिया जाएगा ।

(ii) यदि कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन अनुदत्त वापस करने में असफल रहता है, उनकी अनुज्ञप्तियां

IndiaCode

नवीकृत नहीं की जाएंगी और उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

4. प्रत्येक राज्य सरकार उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे सभी उपाय करेगी, जो इस आदेश के निष्पादन करने के लिए वह करना आवश्यक समझे ।

[फा. सं. 19-6/2001-पीपी. I(वाल्यू. VI)]

डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2007

S.O. 1472(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), published a draft Order to prohibit the import, manufacture and use of Lindane (Gama BHC) except for termite control in buildings including wood, termite control in agriculture as per the approved label claims by the Registration Committee and for export *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 1532(E) dated the 25th October, 2005 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 25th day of October, 2005;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft Order were duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

ORDER

1. (1) This Order may be called the Restriction of Import, Manufacture and Use of Lindane (Gamma B.H.C.) Order, 2007 :—

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. No person shall import, manufacture or use Lindane except—

(i) for termite control in buildings including wood;

(ii) for termite control in agriculture as per the approved lable claims by the Registration Committee; and

(iii) for exports.

3. (1) All Certificates of registration granted for Lindane shall be called back by the Registration Committee from all registrants including new registrants for incorporation of the requirement of the warning in bold letters **"only for use in terminate control in buildings including wood, termite control in agriculture as per approved lable claims by the Registration Committee and for exports"** on lables and leaflets.

(2) If any person fails to return the certificate of registration, as per this order within a period of six months from the date of publication of this Notification, the license granted to him under ~~Section 13 of the said Act shall not be renewed~~ and action under Section 14 of the said Act shall be taken.

4. Every State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and the rules made thereunder, as it considers necessary for the execution of this Order in the State.

[F. No. 19-6/2001-PP. I(Vol. VI)]

Dr. W. R. REDDY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.